न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2025 G.C.M.S. No. 2025/355 दर्ज दिनांक : 01.07.2025

प्रार्थी:

1. जसाराम पुत्र आदा, कौम कुम्हार, निवासी चरली, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. मोती पुत्र नरसा फौत के कायम मुकाम–
   1/1 जगदीश पुत्र मोती
   1/2 चंपालाल पुत्र मोती
   1/3 नारायणलाल पुत्र मोती
   1/4 रमेशकुमार पुत्र मोती
   1/5 ललिता पुत्री मोती
   1/6 मोरकी पत्नि मोती
2. चेना पुत्र नरसा फौत के कायम मुकाम–
   2/1 प्रकाश कुमार पुत्र चेना
   2/2 मोवनी पुत्री चेना
   2/3 तुलसी पुत्री चेना
   2/4 सुमन पुत्री चेना
   2/5 रतन पुत्र चेना
   2/6 मथरा पत्नि चेना
3. सोना पुत्र प्रहलाद
4. सवाराम पुत्र हेमा
5. ताराराम पुत्र हेमा
6. अचलाराम पुत्र आदा
7. नेनाराम पुत्र प्रहलाद
8. पुनाराम पुत्र प्रहलाद
9. मादाराम पुत्र प्रहलाद, जातियान तमाम कुम्हार, निवासीगण चरली, तहसील आहोर, जिला जालोर।
10. दी जालोर सेण्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा, आहोर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।
12. हंसाराम पुत्र रूपाराम, जाति चौधरी, निवासी भैंसवाड़ा, तहसील आहोर, जिला जालोर।

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 60/2007 बअनवान जसाराम बनाम मोती वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.11.2010 के विरूद्ध बाबत मूल अपील को रेस्टोर करने एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित, कुमार दिग्विजय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

2. श्री अमिताभसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 60/2007 बअनवान जसाराम बनाम मोती वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.11.2010 के विरूद्ध बाबत मूल अपील को रेस्टोर करने पेश किया गया। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा श्रीमान् न्यायालय एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की थीं कि मौजा चरली, तहसील आहोर के खसरा नंबर 731 कुल रकबा 0.37 हैक्टेर की भूमि को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के खरीद किया था। इसके पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट के पारिवारीक भाईयो द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे घोषणा का दावा पेश किया था इसके बाद प्रार्थी/अपीलांट को अंधेरे मे रखकर एक समझौता प्रस्तुत किया था तथा समझौते के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट की भूमि मे से रेस्पोडेंट को कुछ हिस्से की घोषणा की थीं जो कि किसी भी प्रकार से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही नही था तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय से असंतष्ट होकर श्रीमान न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील के साथ अंतरिम आदेश भी पारित करवाया था लेकिन प्रार्थी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा मुझ प्रार्थी को बिना संज्ञान में लिये उनके स्तर पर उक्त अपील को नोटप्रेस कर अपील को खारिज करवा दिया था। जिसको पुनः रेस्टोर करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम चरली, तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 731 कुल रकबा 0.37 हैक्टर भूमि दिनांक 25/06/1999 को जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के 25,000/– रूपये प्रतिफल अदा कर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त भूमि को खरीद किया था तथा बैचाननामे की पालना में म्यूटेशन दर्ज करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। इसके पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट के पारिवारीक भाई (रेस्पोडेंट) द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर मे घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा चाहा गया था इसके बाद रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण द्वारा मुझ प्रार्थी/अपीलांट को अंधेरे मे रखकर तथा कानून एवं नियमो को ताक में रखकर एक समझौता डिक्री जारी करवाई जबकि रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के आधार पर खरीद की हुई भूमि में रेस्पोडेंट को किसी भी प्रकार से घोषणा प्राप्त करने का अधीकार ही नही था। इसके बावजूद भी यदि आपस में समझौता होता हैं तो उक्त भूमि की नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय मे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शूल्क जमा करवाकर विक्रय विलेख निष्पादित करवाना होता है लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी विधिक बिन्दूओं को नजर अंदाज करते हुये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

केवल मात्र समझौते के आधार पर दावे को डिक्री किया जो कि धारा 54 सी.पी.सी. एवं आर्डर 20 रूल 18 (2) के प्रावधानो का प्रथम दृष्टया उल्लघंन है। उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध मुझ प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय मे एक अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील के साथ अंतरिम आदेश भी जारी करवाया था तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता को सम्पूर्ण फीस अदा कर अपील को ट्रायल करने हेतु अधिकृत किया था उस दरिम्यान प्रार्थी कम पढा लिखा होने के कारण एवं ग्रामीण परिवेश से संबंधित होने के कारण अपने वकील साहब को समय–समय पर मिल नही पाया तथा वकील साहब द्वारा केवल मात्र अपील दर्ज करवाते समय यह हिदायत दी गई थी कि मुकदमा बहुत लम्बा चलेगा जब भी फैसला आयेगा वकील साहब मुझे बता देगे जिस पर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने वकील साहब पर भरोसा कर निर्णय का इन्तजार करता रहा तथा मौके पर प्रार्थी/अपीलांट का ही उस समय से लगाकर आज दिन तक लगातार कब्जा चला आ रहा है। गत् दिनांक 10/06/2025 को कुछ अजनबी लोग मौके पर आये तथा मुझ प्रार्थी को कहने लगे कि उक्त भूमि के कुछ भाग को उन्होने खरीद रखा हैं तथा प्रार्थी/अपीलांट के शान्ति पूर्वक कब्जे मे दखल करने की कोशिश की अब मुझ प्रार्थी/अपीलांट द्वारा श्रीमान न्यायालय मे सम्पर्क किया तथा दिनांक 13/06/2025 को निर्णय एवं आदेशीका की प्रतिलिपि प्राप्त की तब पता चला कि मुझ प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील को नोटप्रेस के जरिए खारीज करवा दिया हैं। जबकि नोटप्रेस मे खारीज करने हेतु ना तो मुझ प्रार्थी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार से सूचित किया गया और ना ही सहमति ली गई ऐसी स्थिति मे ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से एवं सुनवाई के अधिकार से वंचित करने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त करने योग्य है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्णय नजरीयो मे प्रतिपादित किया हैं कि वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। प्रार्थी की अपील को निरस्त हुये करीब 14 वर्ष हुये हैं लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट द्वारा उक्त निर्णय की पालना गत दिनांक 12/05/2025 को म्यूटेशन नंबर 1972 के जरिए करवाई हैं, ऐसी स्थिति मे यह तथ्य निविवाद रूप से साबित हैं कि रेस्पोडेंट कभी वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। निर्णय प्रार्थी विरूद्ध अनवान निर्णय पारित होने से पूर्व प्रार्थी के खाते पर रेस्पोडेंट संख्या 10 की बैंक का रहन था तथा उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुये तथा भूमि को रहन मुक्त किये बगैर भूमि का म्यूटेशन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। अतः रेस्टोर प्रार्थना पत्र तारीख जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत है तथा विलंब माफ करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित निर्णय को अपास्त कर पत्रावली पुनः नंबर पर ली जाकर गुणावगुण पर आदेश पारित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

म्याद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2007 बअनवान मोती वगैरह बनाम जसाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2007 के विरूद्ध अपीलांट जसाराम द्वारा रेस्पोंडेंट मोती वगैरह के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 60/2007 प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 18.11.2010 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील आगे नहीं चलाना चाहने एवं अपील नोटप्रेस कर देने से खारिज की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते मूल अपील को रेस्टोर करने अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 01.07.2025 को लगभग 14 वर्ष 7 माह अर्थात लगभग 5250 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया।
2. अपीलांट प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि गत् दिनांक 10/06/2025 को कुछ अजनबी लोग मौके पर आये तथा मुझ प्रार्थी को कहने लगे कि उक्त भूमि के कुछ भाग को उन्होने खरीद रखा हैं तथा प्रार्थी/अपीलांट के शान्ति पूर्वक कब्जे में दखल करने की कोशिश की अब मुझ प्रार्थी/अपीलांट द्वारा श्रीमान न्यायालय में सम्पर्क किया तथा दिनांक 13/06/2025 को निर्णय एवं आदेशिका की प्रतिलिपि प्राप्त की तब पता चला कि मुझ प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील को नोटप्रेस के जरिए खारीज करवा दिया हैं। जबकि नोटप्रेस में खारिज करने हेतु ना तो मुझ प्रार्थी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार से सूचित किया गया और ना ही सहमति ली गई। अतः विलंबकाल माफ कर प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. आदेश 41 नियम 19 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के लिए परिसीमा अवधि 30 दिवस नियत है। साथ ही धारा 151 सीपीसी के लिए अधिकतम परिसीमा अवधि 3 वर्ष तक मानी जा सकती हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.11.2010 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा नोटप्रेस करने तथा अपील आगे चलाना नहीं चाहने के आधार पर खारिज की गई तथा अधिवक्ता स्वयं द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। अधिवक्ता अपीलांट, अपीलांट प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्त विधि विशेषज्ञ होता है एवं अपीलांट की ओर से पैरवी के लिए विधिक रूप से अधिकृत होता है। जिसे अपील विड्रो या नोटप्रेस किये जाने का अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

होता है। अधिवक्ता एवं पक्षकार का संबंध दो निजी पक्षकारों का अंतर्संबंध है। जो न्यायालय के लिए विचारणीय नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में लगभग 5250 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्टोर के लिए आदेश 41 नियम 19 के लिए जहां 30 दिवस की परिसीमा विहित है, वहीं धारा 151 के प्रार्थना पत्र के लिए अधिकतम परिसीमा अवधि 3 वर्ष मानी जा सकती हैं। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर देने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि वह प्रकरण से पूर्णतया अनभिज्ञ, उदासीन व लापरवाह हो जाए। बल्कि संबंधित पक्षकार अपीलांट का यह कर्तव्य होता है कि वह पूर्णतया सजग व संवेदनशील रहते हुए नियमित रूप से अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहें तथा न्यायालय में जैरकार प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत रहें। अतः प्रकरण में प्रार्थी का यह कथन कि उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को अपील नोटप्रेस में खारिज होने से अवगत नहीं करवाया एवं प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.06.2025 को कुछ अजनबी लोगों के मौके पर आने व प्रार्थी को कहने कि उक्त भूमि के कुछ भाग को उन्होंने खरीद लिया है, पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय में संपर्क करने तथा दिनांक 13.06.2025 को न्यायालय व आदेशिका की प्रति प्राप्त होने पर हुई, पूर्णतया बनावटी, भ्रामक व अविश्वसनीय कथन है। प्रार्थी अपीलांट न्यायालय में जैरकार प्रकरण की अद्यतन स्थिति से वाकिफ होने के लिए प्रत्येक आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि कभी भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे लगभग 5250 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा विलंब के कारण के रूप में दर्शित आधार पर्याप्त, युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं हैं।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विलंब माफ करने के लिए निम्नलिखित न्यायिक नजीर प्रस्तुत की:–

1. 2023 (2) RRT 1115 S.C.

माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विलंब के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Limitation Act, 1963-Section 5-Delay of 1231 days in filing appeal-Condonation of delay-Liberal and justice oriented approach needs to be adopted-Substantive rights of the parties should not be defeated only on the ground of delay-Decision on which the impugned judgment is based has been overruled is not a ground to condone the delay-Application under Section 5 was drafted very casually-Held, Delay condoned to subserb the justice.

6. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त पैरा संख्या 4 में उल्लेखित प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं, वहीं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होती हैं। क्योंकि प्रथम तो प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अविश्वसनीय रूप से 5250 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है, जबकि प्रार्थी स्वयं अपीलांट था। प्रार्थी द्वारा विलंब के दिन–प्रतिदिन के कारण व आधार भी दर्शित नहीं किए। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हमारे विनम्र मत में प्रार्थी के प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं हो सकती। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **5250 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही प्रश्नगत आदेश आरंभतः विधिविरूद्ध या आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के विचलन में पारित आदेश नहीं होकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

अपीला नहीं चलाना चाहने का निवेदन करने तथा अपील नोटप्रेस कर हस्ताक्षर करने पर न्यायालय हाजा द्वारा खारिज की गई थीं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **5250 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली